शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जुलाई 2019
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

आदिवासियों के आर्थिक विकास में कृषि उपज का योगदान झाबुआ जिले के विशेष संदर्भ में

संगीता कटारा (शोधार्थी)
डॉ. प्रकाश गर्ग
प्राध्यापक, वाणिज्य
श्री अटलबिहारी वाजपेयी शा.कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय
इन्दौर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध संक्षेप

मध्यप्रदेश का झाबुआ जिला आदिवासी बहुल है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आजादी के बाद से यहाँ पर विकास की चुनौती हमेशा रही है। कम वर्षा और सिंचाई की साधनों की न्यूनता के कारण कृषि कार्य कठिनाईयों भरा रहा है। इसके बावजूद शासकीय योजनाओं और आदिवासी संस्कृति के मेल से यहाँके आदिवासियों के आर्थिक विकास में कृषि उपज का योगदान महत्वपूर्ण है प्रस्तुत शोध पत्र में इसी पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना

झाबुआ नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में अनेकों चित्र उभरकर सामने आते हैं, तरह-तरह की कल्पनायें हम करने लगते हैं। अनेक लोगों से भी यह कहते सुना है कि झाबुआ मतलब एक बहुत ही खतरनाक इलाका या स्थान। कोई भी नया व अनजान व्यक्ति जो उस क्षेत्र के बारे में अनभिज्ञ है वहाँ जाना नहीं चाहता है, सभी वहाँ जाने से डरते हैं, परन्तु क्या वास्तव में यहाँ ऐसा है ? या फिर हम किसी की कही-सुनायी गयी बातों को सुनकर मात्र ही अच्छे-बुरे की कल्पना कर रहे हैं ?

यदि यहाँ की वास्तविक स्थिति को हम देखें तो अलग ही दृश्य हमारे सामने परिलक्षित होता है। यहाँ के आदिवासी सिर पर फटी-पुरानी पगड़ी, फटी-पुरानी कमीज़, लंगोटी या धोती धारण किये हुये व अपने हाथों में तीर-कमान, फालिया, धारिया या फिर रंग-बिरंगी लट्ठ लिये हुये मिलते है। बिना किसी से प्रतिस्पर्धा किये ये आदिवासी अपने में ही मद-मस्त होकर नाचते हुए मिलते है। छोटे-बड़े पर्वो को अत्यन्त ही उत्साह से मनाते हुए ये छोटे-बड़े हाट-बाजारों में प्रायः मिल ही जाते हैं।

दोनों समय का पर्याप्त भोजन नसीब हो या न हो परन्तु जहाँ मौका मिले अपने पास जितना भी हो वहां खर्च करने में पीछे नहीं हटते। आने वाले कल की चिन्ता किये बिना ये अपने घर आए मेहमानों का अपनी आर्थिक स्थिति या प्रतिष्ठा से ज्यादा बढ़ चढ़कर आवभगत करने में लग जाते हैं। जैसी कल्पनाएँ उनके बारे में की जाती रही है व की जा रही है कि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भाले-भाले व सीधे-सादे हैं परन्तु हाँ जहाँ पर कोई इनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाये या फिर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश मात्र भी करे तो ये प्राण लेने में भी पीछे नहीं हटते हैं।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

झाबुआ जिले की सम्पूर्ण आदिवासी अर्थव्यवस्था प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों जैसे- फल-फूल, पशु-पक्षी, जड़ी-बूटी, नदी, घाटी, पर्वत, पठार व जंगलों आदि पर निर्भर है। अधिकांशतः ये लोग संयुक्त परिवार में ही रहकर एक-दूसरे का सहयोग करते हुए जीवनयापन करते हैं। इनकी यह मान्यता है कि परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे परिवार उतना ही शक्तिशाली व आर्थिक रूप से मजबूत होगा। प्रकृति प्रदत्त साधनों से ही ये अनेक प्रकार के उपकरणों, औजारों का निर्माण कर अपनी क्षुधापूर्ति हेतु सभी मिलकर कठोर परिश्रम करते हैं। कठारे परिश्रम से इन्हें जो कुछ भी मिलता है वह मात्र इनके जीवन यापन का एक ज़रिया ही हो सकता है, इससे धन-संचय करना या उसके बल पर दूसरों पर प्रभुता स्थापित करना या फिर अत्यन्त आरामदायक जीवन जीना इनके जीवन का हिस्सा नहीं है।

झाबुआ जिले की कुल जनसंख्या में लगभग प्रतिशत भाग आदिवासियों का होने से ही इस जिले को एक आदिवासी बाहुल्य जिला कहा गया। इन आदिवासियों की अर्थव्यवस्था व मुख्य व्यवसाय का मूल आधार कृषि ही है जो प्रकृति-प्रदत्त संसाधनों की सहायता से ही की जाती है। यहाँ की जनसंख्या के लगभग 85 प्रतिशत लोग कृषि कार्यो में ही लगे हुए हैं। अलग-अलग स्थानों पर कृषि के तरीके भी अलग-अलग है। कहीं पर अत्यन्त आधुनिक तरीके अपना लिये गये हैं तो कहीं पर वही परम्परागत तरीके आज भी प्रचलित है। मिट्टी भी अलग अलग स्वरूपों में उपलब्ध है, कहीं पर काली मिट्टी है तो कहीं पर लाल, कहीं पथरीली तो कहीं बंजर। पानी की थोड़ी सी भी सुविधा यदि इन्हें मिल जाती है तो फसल उगाने में ये पीछे नहीं हटते हैं। एक या दो तालाबों से ही लगभग पूरे गाँव में सिंचाई की जाती है। तालाब से थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाता है तो ये छोटी-छोटी नालियों के माध्यम से बारी-बारी से अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। जो व्यक्ति सम्पन्न है वह अपने ही साधनों से सिंचाई कर लेते हैं। जिनके पास अपने साधन नहीं है वे झीलों व नालों को गहरा कर पानी का रूख अपने खेतों की तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर इनका प्रबन्धन इतना सटीक होता है कि इनके कार्य को देखते ही इनकी कार्यकुशलता व बुद्धि पर आश्चर्य होने लगता है। ये लोग यह सोचने को मजबूर कर देते हैं कि वास्तव में इतनी कम सुविधाओं के बावजूद जी-तोड़ मेहनत कर कम भूमि में भी वर्ष भर का अनाज अपने खेतों में उत्पादित कर लेते हैं व इस देश की जनसंख्या के पालन पोषण में भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं।

झाबुआ जिले में मुख्य रूप से मक्का, सोयाबीन, गेहूँ, कपास, चावल, मूंगफली, दालों व अन्य मोटे अनाज उगाए जाते हैं। फसल का उत्पादन ये अपने-अपने स्तर पर करते रहते हैं। अपने घर में उपयोग करने जितना अनाज छोड़कर बाकी अनाज को अपनी अन्य अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बेच देते हैं। फसल की क्वालिटी या गुणवत्ता के आधार पर इन्हें भुगतान प्राप्त होता है। साथ ही कस्बाई महाजनी सभ्यता के गुलाम तो ये होते ही है, कुछ लोगों को छोड़कर अधिकांश ऋण साहूकारों व महाजनों से ही प्राप्त करते हैं क्योंकि वहाँ से उधार लेना बैंकों व सोसायटी की तुलना में आसान लगता है। कागज़ी कार्यवाही के झंझट में यह पड़ना नहीं चाहते हैं। शासन द्वारा किसानों के लाभ व उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ आजादी के बाद से ही चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ सोच समझकर जिनके द्वारा भी लिया गया, वे आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं। जो जागरूक नहीं हुए वे आज भी साहूकारों व

महाजनों के चंगुल में फंसे हुए हैं। फसल उत्पादन में इनके द्वारा किये गये कठोर श्रम का श्रमफल कोई और ही ले जाता है।

कृषि के भी अलग-अलग स्वरूप या कहा जा सकता है कि तरीके उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास कृषि भूमि नहीं है और अन्य साधन है, व किसी के पास भूमि तो है परन्तु उपज को उगाने हेतु अन्य साधन जैसे:- बीज, खाद, सिंचाई के उपकरण आदि नहीं है तो ये आपस में मिलकर साझेदारी में कार्य करते हैं व उपज भी बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। कई लोग अपनी भूमि को बटाई पर या कहा जा सकता है कि किराये पर दे देते हैं। यह पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि एक फसल या वर्ष भर के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा ? वर्तमान में यह भी देखा जा रहा है कि कुछ उद्यमी गाँवों में जाकर वर्ष भर के लिए ही खेतों को किराये पर ले लेते हैं। उस खेत में फसल उत्पादन के संबंध में जो भी साधन लगते हैं, वे लगाते हैं, जैसे - ट्यूबवेल व अन्य विकास। इन सभी विकास व्ययों को जो कि स्थायी रूप से किये गये हैं उन व्ययों की राशि को किराये के भुगतान के समय कम कर दिया जाता है क्योंकि वर्ष भर के बाद इन सभी स्थायी सुविधाओं का लाभ वह कृषक व्यक्ति ही लेगा, जिसकी भूमि थी। गन्ने की खेती में इस प्रकार के कार्य स्वरूप देखे जा रहे हैं।

कृषि के आधुनिक तरीकों में वर्ष भर ली जाने वाली फसलों के साथ ही अनेक बागानों को भी विकसित किया जा रहा है जैसे - आम, अमरूद पपीता, कैला, नींबू व संतरा आदि पेड़पौधों को उगाया जा रहा है। खेतों में इन्हें थोड़ी दूरी पर लगाते हैं बीच में जो खाली ज़मीन रहती है उसमें गेहूँ, चना, मक्का, सोयाबीन व मौसम के अनुसार समय-समय पर बोयी जाने वाली फसलों को लगाते हैं। ये तरीके आदिवासी दूसरे सम्पन्न लोगों जैसे - कुल्मी, पाटीदार आदि के खेतों में मजदूरी कर सीख लेते हैं। अपने खेतों में बागान से वर्ष भर अलग-अलग प्रकार के फलों से नकद रूपया भी इन्हें मिलता है व अपनी मौसमी फसल जो हमेशा लगाई जाती है उसे भी उसी खेत में उगा लिया जाता है। इन नवीन व आधुनिक तरीकों से आर्थिक स्थिति में सुधार होता नजर आता है।

साथ ही वर्तमान में झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील में टमाटर की खेती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी है। इस तहसील में उत्पादित टमाटरों को निर्यात किया जाता है। जिसके आयातकर्ता में पाकिस्तान एक मुख्य देश है। निर्यात से शासन के खजाने में विदेशी मुद्रा तो बढ़ ही रही है साथ ही किसानों को भी स्थानीय बाजार की तुलना में अच्छी कीमत प्राप्त हो जाती है। स्थानीय बाजार में यदि किसान को प्रति किलो 10 रू. प्राप्त होते हैं तो उसी के निर्यात में प्रति किलो 40 रू. तक कीमत प्राप्त हो जाती है। इस क्षेत्र में टमाटर का उत्पादन लगभग 600 से 800 कैरेट प्रति बीघा होता है। यहाँ टमाटर का वजन 50 से 150 ग्राम तक होता है। बहुत से किसानों ने अपना रुख इस प्रकार की खेती करने में किया है। साथ ही झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के ग्राम बामनिया में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मन्त्रालय भारत सरकार से सहायता प्राप्त शीत श्रृंखला (फूड प्रोसेसिंग) श्री उत्तम फूड प्रोडक्ट (इण्डिया) प्रा.लि. की स्थापना वर्ष 2015 में की गई। इस श्रृंखला में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :-

फूड प्रोसेसिंग यूनिट में चिप्स तैयार की जाती है जिसमें कि आलू किस्मज्योति, चिपसोना-1, कैनाबैग आदि प्रयोग में लाया जाता है।

मटर से फ्रोज़न तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि गोल्डन एवं डी-10 किस्म के मटर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही स्वीट कार्न मक्का से भी फ्रोज़न तैयार किया जा रहा है।

परियोजना की कुल लागत 32 करोड़ है तथा अनुदान सहायता इसमें 10 करोड़ है।

फूड प्रोसेंसिग यूनिट में लगभग 5000 टन आलू, मटर 600 टन, गाजर 1000 टन व मक्का स्वीट कार्न फ्रोज़न करने की क्षमता है।

संयत्र की स्थापित क्षमता मटर 5 टन, आलू 1 टन, गाजर 2 टन व मंेगो पल्प 2 टन प्रति घंटा है।

उक्त प्रसंस्कृत उत्पाद को डेस्टीज़ ब्राण्ड के नाम से विक्रय जा रहा है।

यह यूनिट पेटलावद से करीब 14 कि.मी. रतलाम-अहमदाबाद रेल लाईन पर स्थापित की गई है।

इस यूनिट में स्थानीय क्षेत्र में उत्पादित कृषि उपज को खरीदा जाता है। इस शीत श्रंृखला में लगभग 20,000 किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि कच्चा माल अधिक मात्रा में प्राप्त करना होता है। यह 20,000 किसान तीन जिलों जैसे झाबुआ, धार व बड़वानी से है।

साथ ही इस उद्योग में 264 व्यक्ति जो कि प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत है व लगभग 400 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है। अनेक कृषक संघ जैसे - बलराम कृषक संघ खवासा, ओम नमः शिवाय - खवासा, माँ उमिया कृषक संघ-थान्दला तथा माँ दुर्गा कृषक संघ-थान्दला आदि भी इस उद्योग से जुड़े हुये हैं। झाबुआ जिले में स्थापित इस उद्योग से यहाँ के किसान व गरीब आदिवासी जरूर लाभान्वित होंगे।

किसी भी क्षेत्र में कृषि की आधारशिला वर्षा ही है। वर्षा के बिना न तो जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही अन्य किसी कार्य की। जिले में पिछले 5 वर्षो में वर्षा का विवरण निम्न है:-

औसत वार्षिक वर्षा (जून से मई) (मि.मी.) (वर्ष 2018-19)

तहसील	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	योग	औसत वार्षिक वर्षा
झाबुआ	1254.40	980.00	985.00	1120.35	978.90	5318.25	1063.65
थान्दला	1221.40	1100.00	1162.00	689.30	726.50	4899.20	979.84
पेटलावद	1417.00	1215.00	1315.00	881.00	612.20	5440.20	1088.04
मेघनगर	1137.60	998.00	1050.00	846.00	666.20	4697.80	939.56
राणापुर	1219.00	1035.00	1145.00	709.20	642.00	4750.20	950.04
योग	6249.00	5328.00	5657.00	4245.85	3625.80	-	-

स्रोत :- अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला-झाबुआ

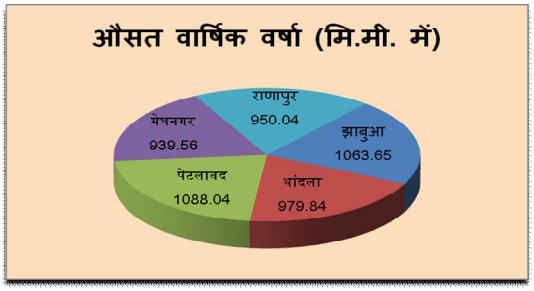

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि पिछले 5 वर्षो में पेटलावद तहसील में सबसे अधिक वर्षा 1088.04 मि.मी. उसके बाद क्रमशः झाबुआ, थान्दला, राणापुर व मेघनगर तहसील का स्थान आता है। सबसे कम वर्षा मेघनगर तहसील में 939.56 मि.मी. हुई है।

झाबुआ जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, पड़त भूमि, शुद्ध बोया गया क्षेत्र व फसलों का कुल क्षेत्रफल तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है उसका वर्णन इस प्रकार है :-

भूमि उपयोग (30 जून की स्थिति) (हेक्टर में) वर्ष 2018-19

विकास खण्ड	भौगोलिक क्षेत्रफल	वन क्षेत्र	कृषि के लिये जो भूमि उपलब्ध नहीं	अन्य अकृष भूमि	कृषि योग्य भूमि	पड़त भूमि	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	द्वि फसली	कुल क्षेत्रफल (7+8)
0	01	02	03	04	05	06	07	08	09
झाबुआ	40,539	1,037	7,419	654	1,609	1,823	28,405	8,364	36,769
रामा	45,814	1,523	9,933	546	2,128	2,128	31,042	11,281	42,323
राणापुर	39,839	162	7,855	584	1,833	2,020	28,537	5,523	34,060
थान्दला	44,728	168	10,085	489	5,457	5,512	27,861	8,185	36,046
मेघनगर	32,533	256	5,562	468	2,231	2,404	23,180	8,081	31,261
पेटलावद	89,604	157	26,606	1431	3,939	4,283	51,256	32,680	83,936
योग	2,93,057	3,303	67,460	4,172	17,197	18,170	190281	74114	2,64,395

स्रोत :- अधीक्षक भू अभिलेख जिला झाबुआ

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 293057 हेक्टर में से वन क्षेत्र 3,303 हेक्टर, कृषि योग्य भूमि नहीं- 67460 हेक्टर, फसलों का बोया गया कुल क्षेत्रफल 2,64,395 हेक्टर है।

झाबुआ जिले में बोयी जाने वाली फसलों के क्षेत्रफल का विवरण भी हेक्टर में निम्न प्रकार से दर्शाया गया है :- प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र (30 जून की स्थिति) (हेक्टर में) वर्ष 2018-19

विकासखण्ड	प्रमुख फसलें							
	गेहूँ	धान	ज्वार	मक्का	दलहन	तिलहन	रेशे	योग फसल
0	01	02	03	04	05	06	07	08
झाबुआ	3,874	1,258	217	13,705	5,447	8,404	3,066	35,971
रामा	9,058	1,096	476	7,481	2,711	17,272	3,579	41,673
राणापुर	2,871	1,969	1,037	8,734	5,308	12,081	1,253	33,253
थान्दला	6,848	1,700	83	11,623	1,661	7,544	5,276	34,735
मेघनगर	4,371	1,833	28	11,907	4,294	5,365	2,586	30,384
पेटलावाद	29,069	264	12	7882	2572	35470	4996	80265
योग	56,091	8,120	1,853	61,332	21,993	86,136	20,756	2,56,281

स्रोत : अधीक्षक भू-अभिलेख जिला-झाबुआ

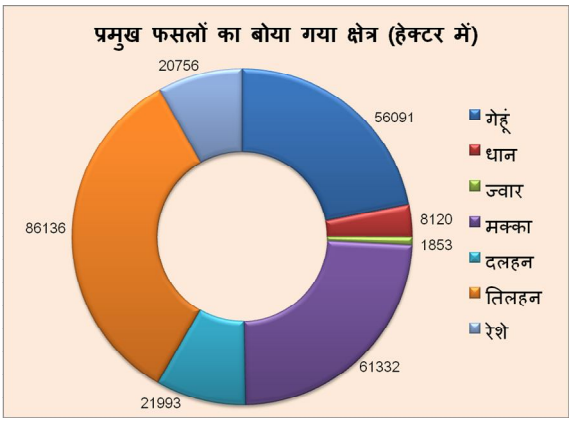

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि फसलों के बोये क्षेत्र में सबसे अधिक फसल पेटलावद क्षेत्र में लगभग 80265 हेक्टर में व सबसे कम मेघनगर में 30384 क्षेत्र में फसल बोयी जाती है। उसी प्रकार सबसे अधिक फसल तिलहन लगभग 86136 हेक्टर क्षेत्र में बोयी जाती है इसमें सोयाबीन अधिक मात्रा में उगाया जाता है। उसके बाद झाबुआ जिले में मक्का बोयी जाती है यह लगभग 61,332 हेक्टर क्षेत्र में बोयी जाती है। सबसे कम फसल का क्षेत्र ज्वार का है जो कि लगभग 1853 हेक्टर है।

झाबुआ जिले खरीफ व रबी फसलों का भी बोया जाने वाला क्षेत्र अलग अलग होता है, क्योंकि खरीफ फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है बारिश के पानी से ही फसल पक जाती है, किन्तु रबी की फसल हेतु सिंचाई भी करना होता है। यह फसल ठण्ड में बोयी जाती है जैसे - गेहूँ, चना, मटर आदि। झाबुआ जिले में खरीफ व रबी फसलों का विवरण बोये जाने वाले क्षेत्र के अनुसार इस प्रकार है:-

खरीफ व रबी फसलें (हेक्टर में) वर्ष 2015-16

विकासखण्ड	खरीफ फसलें		रबी फसलें		योग
	खाद्य	अखाद्य	खाद्य	अखाद्य	
झाबुआ	17,216	10,770	7801	10	35,797
रामा	11,989	18,468	10,253	14	40,724
पेटलावाद	15,938	35,419	22,859	148	74,364
थान्दला	15,121	12,632	6648	28	34,429
मेघनगर	14,959	8190	6664	-	29,813
राणापुर	16,977	11,911	7,214	87	35,989

स्रोत : अधीक्षक भू-अभिलेख, झाबुआ

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि खरीफ व रबी फसलों के अन्तर्गत बोये जाने वाले क्षेत्र में भी पेटलावद विकासखण्ड का प्रथम स्थान आता है यह लगभग 74364 हेक्टर है। सबसे कम क्षेत्र मेघनगर विकासखण्ड का लगभग 29813 हेक्टर है। तालिका से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि खरीफ की अधिक फसलें बोयी जाती है क्योंकि इसे आसानी से उगाया जा सकता है। सिंचाई हेतु अलग से कोई साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं होती हैं। पहाडी क्षेत्रों में घाटियों पर भी फसल बो दी जाती है क्योंकि बारिश के पानी से फसल पककर तैयार हो जाती है। इसके विपरीत रबी की फसल उसी क्षेत्र में बोयी जाती है जहाँ पर पानी आसानी से उपलब्ध होता है। खरीफ की फसल उगा लेने के बाद सिंचाई के साधनों के

अभाव में यह जमीन बाकी समय खाली पड़ी रहती है। जिले में फसलों का औसत उत्पादन भी बोये गये क्षेत्र के अनुसार निम्न है:-

फसलों का औसत उत्पादन (कि.ग्रा.) (प्रति हेक्टर में) वर्ष 2015-16

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार	मक्का	चना
2011-12	880	2,400	1,020	1,500	840
2012-13	880	2,400	1,020	1,500	840
2013-14	880	2,400	1,020	1,500	840
2014-15	880	2,400	1,020	1,500	840
2015-16	880	2,400	1,020	1,500	840

स्रोत : अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ

उपर्युक्त तालिका के आधार पर फसलों का औसत उत्पादन यदि देखा जाए तो यह बहुत कम है। चावल 880 कि.ग्रा., गेहूँ, 2400 कि.ग्रा., ज्वार 1020 कि.ग्रा., मक्का 1500 कि.ग्रा. व चना 840 कि.ग्रा. प्रति हेक्टर क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है।

निष्कर्ष

यदि कृषि के तरीकों में और अधिक आधुनिक पद्धतियाँ अपनाई जाए व सभी लोग मिलकर आपसी सहयोग से सिंचाई की समस्या का समाधान अपने स्तर पर ढूंढे तो जिले में कृषि उपज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। समूह, समितियाँ आदि बनाकर संसाधनों को इकट्ठा करे तो औसत उत्पादन और अधिक बढ़ जाएगा साथ ही फसलों का बोया जाने वाला क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। प्रकृति प्रदत्त संसाधन तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ही आवश्यकता है बस इन्हें पहचानने व सही जगह इसका उपयोग करने की। झाबुआ जिले में अथाह व कठोर परिश्रम करने वाले लोग भी मौजूद है यदि इन्हें सही दिशा व मार्गदर्शन दिया जाए, खेती के नये-नये तरीके बताए जाए। परम्परागत फसलों के स्थान पर यदि वाणिज्यिक/व्यावसायिक फसलों के उत्पादन की सलाह दी जाए तो वास्तव में ये लोग गरीबी की दास्तां से मुक्त हो जायेंगे। यदि शासन भी कृषि उपज से संबंधित उद्योग व शीत श्रृंखला आदि को विकसित करें तो कृषि उपज को इकट्ठा बेचा जा सकता है। यदि सही दिशा में ये लोग कार्य करेंगे तो निश्चित ही झाबुआ जिला आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न जिला बन जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ

1 म.प्र. की जनजातियाँ, डॉ.एस. के तिवारी व डॉ. कमला शर्मा

2 आदिवासियों के बीच, श्री चन्द जैन

3 ग्रामीण भूगोल, डॉ. बी.एस. नेगी

4 भारतीय अर्थव्यवस्था, रूद्र दत्त (के.पी.एम. सुन्दरम्)

अंकेक्षण प्राप्ति

1 कार्यालय अधीक्षक, भू - अभिलेख, झाबुआ।

2 सांख्यिकी विभाग- झाबुआ

3 जिला सांख्यिकी पुस्तिका